रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022024-252010
CG-DL-E-12022024-252010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945
No. 33] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

सं. 40/2023

विषयः प्रकिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.36 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/046/एएम24/पीसी–4.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार, प्रकिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.36 के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 4.36	संशोधित पैरा 4.36
(vi) केवल ऐसे प्राधिकार–पत्रों को ही क्लब किया जाएगा जो पहले के प्राधिकार–पत्र जिन्हें क्लब किया जाने है, के जारी करने की तारिख से 18 महीनों के भीतर जारी किए गए हैं चाहे ऐसे प्राधिकार–पत्र मान्य हैं या नहीं हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार–पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर आयात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार–पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी भी	(vi) केवल ऐसे प्राधिकार–पत्रों को ही क्लब किया जाएगा जो पहले के प्राधिकार–पत्र जिन्हें क्लब किया जाने है, के जारी करने की तारिख से **24** महीनों के भीतर जारी किए गए हैं चाहे ऐसे प्राधिकार–पत्र मान्य हैं या नहीं हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार–पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर आयात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार–पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी भी आयात को प्रक्रिया–पुस्तक के पैरा 4.49 के तहत नियमित किया

आयात को प्रक्रिया–पुस्तक के पैरा 4.49 के तहत नियमित किया जाएगा।	जाएगा। **यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार–पत्र के जारी होने की तारीख से 48 महीनों के भीतर निर्यात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार–पत्र के 48 महीनों के बाद किया गया कोई भी निर्यात क्लबिंग के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।**

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.36 को व्यापार करने में सुगमता हेतु, अग्रिम प्राधिकारपत्र स्कीम के संबंध में क्लबिंग प्रावधानों को सुगम करने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th February, 2024

No. 40/2023

Subject: Amendments in Para 4.36 of the Handbook of Procedures, 2023.

F. No. 01/94/180/046/AM24/PC-4).—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the provision of Para 4.36 of the Handbook of Procedures 2023:

Existing para 4.36	Amended para 4.36
(vi) Only such authorisations shall be clubbed which have been issued within 18 months from the date of issue of earliest authorisation that is sought to be clubbed, whether such authorisations are valid or not. This is further subject to condition that upon clubbing only imports made within 30 months from the date of issue of earliest authorisation shall be considered. Any imports made beyond 30 months of earliest authorisation shall be regularized under Para 4.49 of the HBP.	(vi) Only such authorisations shall be clubbed which have been issued within **24** months from the date of issue of earliest authorisation that is sought to be clubbed, whether such authorisations are valid or not. This is further subject to condition that upon clubbing only imports made within 30 months from the date of issue of earliest authorisation shall be considered. Any imports made beyond 30 months of earliest authorisation shall be regularized under Para 4.49 of the HBP. **This is further subject to condition that upon clubbing only exports made within 48 months from the date of issue of earliest authorisation shall be considered. Any exports made beyond 48 months of earliest authorisation shall not be acceptable for clubbing.**

Effect of the Public Notice: Para 4.36 of the Handbook of Procedures 2023 has been amended, to ease the clubbing provisions in respect of Advance Authorization Scheme, for ease of doing business.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA